

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :- 86 / 2022**

**बउनवान**

राज0 सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों  
(प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री प्रियांशु शर्मा उम्र 23वर्ष पुत्र श्री दीपक शर्मा निवासी एसबीआई बैंक के पास, कोटा रोड, बारों जिला बारों(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स डाउन टाउन बैकरी एंड कैफे, एसबीआई बैंक के पास, कोटा रोड, बारों
2. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री कृष्ण बल्लभ शर्मा निवासी एसबीआई बैंक के पास, कोटा रोड, बारों जिला बारों(मालिक) मैसर्स डाउन टाउन बैकरी एंड कैफे, एसबीआई बैंक के पास, कोटा रोड, बारों
3. मैसर्स डाउन टाउन बैकरी एंड कैफे, एसबीआई बैंक के पास, कोटा रोड, बारों
4. श्री मनीष गोयल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार(मालिक) निवासी शिव बस्ती वार्ड नं. 30, बारों मैसर्स मनीष कुमार गौरव कुमार विनायकम कॉम्प्लेक्स, प्रताप चौक, बारों
5. मैसर्स मनीष कुमार गौरव कुमार विनायकम कॉम्प्लेक्स, प्रताप चौक, बारों
6. श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोरधन दास सुखीजा(नोमिनी) निवासी 11/622 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर मैसर्स बीकाजी फूड इंटरनेशनल लि0 एफ-196-199 बिच्छवाल इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर
7. मैसर्स बीकाजी फूड इंटरनेशनल लि0 एफ-196-199 बिच्छवाल इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर

(अप्रार्थीगण)

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थिति :- 1- श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2- श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

**निर्णय दिनांक 07.07.2023**

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2022 को मैसर्स डाउन टाउन बैकरी एंड कैफे, एसबीआई बैंक के पास, कोटा रोड, बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री प्रियांशु शर्मा पुत्र श्री दीपक शर्मा(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ-28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी मनभावन (बीकाजी) 450ग्राम मूल गत्ते पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी मनभावन(बीकाजी) 450 ग्राम मूल गत्ते पैक में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी मनभावन(बीकाजी) 450 ग्राम मूल गत्ते पैक के 04 मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री प्रियांशु शर्मा पुत्र श्री दीपक शर्मा(विक्रेता एवं मालिक) को 440/- रूपये (अक्षरे चार सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी मनभावन(बीकाजी) 450 ग्राम मूल गत्ते पैक को चार भागों में कर प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1510 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1510 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री प्रियांशु शर्मा पुत्र श्री दीपक शर्मा(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/235 दिनांक 25.08.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1112/PHL/kota/Act/2022/1114 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी मनभावन (बीकाजी) 450 ग्राम मूल गत्ते पैक मिथ्याछाप(Misbranded) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 30.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ने रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी मनभावन(बीकाजी) 450 ग्राम मूल गत्ते पैक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप(Misbranded) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नमूना लेने की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। फर्द निरीक्षण प्रक्रिया नियमों के अधीन मौके पर तैयार नहीं की गई है तथा खाद्य विश्लेषक द्वारा मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है। परीक्षण प्रयोगशाला एन ए बी एल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही खाद्य अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट में वर्णित नमूने की जांच की अवधि भी दी हुई है परंतु की गई रिपोर्ट का कोई परिणाम प्रतिदिन का रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। इस कारण रिपोर्ट माने जाने योग्य नहीं है। परिवाद अंदर मियाद प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं स्वीकृति अभियोजन भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि परिवाद संदेह से परे साबित न होने से निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1112/PHL/kota/Act/2022/1114 दिनांक 05.08.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जयें पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये। किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी मनभावन(बीकाजी) 450ग्राम मूल गत्ते पैक खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1112/PHL/kota/Act/2022/1114 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 80,000/- रुपये (अक्षरे अस्सी हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सत्यनारायण आमेटा )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट,  
बारां (राज.)